

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमांक: कोर्ट/2021/ 563

दिनांक - 23.4.2021

तहसीलदार
राजाखेड़ा

उनवान

प्रेमवती पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाटव निवासी कस्बा राजाखेड़ा, वार्ड न. 18, जिला धौलपुर
..... वादियां

बनाम

1. शिवशंकर
2. मुकेशचन्द पुत्र कालीचरन
3. अमीरचन्द
4. रामकिशन
5. दिनेश पुत्र मुन्नालाल
6. रामवरन
7. रामवेटी पत्नी मुन्नालाल
8. कृष्णा पुत्री मुन्नालाल
9. तहसीलदार राजाखेड़ा वहाँसियत लैण्ड होल्डर

समस्त जाति जाटव निवासी वार्ड न. 7, राजाखेड़ा

..... प्रतिवादीगण

दावा: स्वत्व घोषणा, बटवारा कास्त व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0 नम्बर 52/2020

उक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा इस आशय की डिक्री पारित की गई है कि विवादित आराजी खसरा न. 5089/5085 रकवा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी, स्थित ग्राम कुम्हर पुरा तहसील राजाखेड़ा में मुन्नालाल पुत्र वेदो के हिस्सा 1/2 में से कुल 646.666 वर्गगज अर्थात 04 बिस्वा एवं 05 बिस्वांसी आराजी का वादियां प्रेमवती को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। मुन्नालाल का शेष हिस्सा यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादियां के नाम के इन्द्राजात दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजाखेड़ा को यह भी आदेश दिया जाता है कि मौके पर वादियां के कब्जे के अनुसार वादियां का राजस्व रिकॉर्ड में नया खसरा न. एवं पृथक से नया खाता कायम किया जावे तथा लगान का निर्धारण भी पृथक किया जावे।

अतः आप उक्तानुसार पालना कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में भिजवावें।

परवाना मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.04.2021 को जारी किया गया।



उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा
(धौलपुर)

Copy
22/4/21